विशेष शिविर का आयोजन

झुंझुनूं,। स्थानीय गणपति नगर स्थित न्यू राजस्थान बालिका पीजी महाविद्यालय में एनएसएस की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में गुरूवार को एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें एनएसएस स्वयंसेविकाओं ने पूर्ण उत्साह के साथ बढ़-चढ़ कर भाग लिया। शिविर के प्रथम सत्र में एनएसएस प्रभारी पिंकेश व अंजू सैनी के निर्देशन में स्वयंसेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ पौधों की कटाई-छटांई एवं निराई-गुडाई की। शिविर के द्वितीय सत्र में स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन कर शपथ दिलवाई गई।

संस्था सचिव इंजीनियर पीयूष ढूकिया ने स्वयंसेविकाओं को एनएसएस के विषय में विस्तार पूर्वक बताया एवं निस्वार्थ भाव से समाज हित के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. सुमन जानूं ने स्वयंसेविकाओं को अपने घर-परिवार के साथ-साथ पास-पडौस, मोहल्ला, महाविद्यालय व देश में स्वच्छ वातावरण रखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पॉलिथिन के दुष्परिणाम भी बताए। इस अवसर पर समस्त स्टाफ सदस्य व स्वयंसेविकाएं उपस्थित रही।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 114/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्दराम शर्मा निवासी ग्राम पुरिया पोस्ट पटोदा जिला झुंझुंनू राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री गोविन्द शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय समिति विसाऊ चूरू रोड विसाऊ जिला झुंझुंनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

छह सितंबर को सैंकड़ों की संख्या में जयपुर जाएंगे विप्र बंधु

झुंझुनूं,। विप्र फाउंडेशन द्वारा शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर स्थित नवनिर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन छह सितंबर शनिवार को दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के अवसर पर इस विप्र महाकुंभ में देश-प्रदेश से शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में विप्रजन उपस्थित होंगे। वातानुकूलित नव निर्मितआधुनिक छह मंजिला भवन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित होगा। इसमें वैदिक अनुसंधान केंद्र, कन्या छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षा परीक्षण व कोचिंग कक्षाएं, कौशल विकास केंद्र, ई-लाइब्रेरी, अतिथि गृह,

■ जयपुर जाने की तैयारी को लेकर बैठक संपन्न

सभागार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की समस्त सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसको लेकर विप्र फाउंडेशन के संरक्षक एडवोकेट सुशील जोशी की अध्यक्षता एवं जिलाध्यक्ष कमलकांत शर्मा के मुख्य आतिथ्य में एवं झुंझुनूं तहसील के अध्यक्ष अनिल जोशी के संयोजन में जोशियों की कुटिया में एक बैठक संपन्न हुई। फाउंडेशन के जिला संगठन महामंत्री रामगोपाल महमिया ने जानकारी देते हुए बताया कि झुंझुनूं जिले के विभिन्न क्षेत्रों, गांवों एव कस्बों से बसों व निजी वाहनों से जयपुर चलने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार को मुख्यालय पर विफा की हुई बैठक में जयपुर मानसरोवर में भवन उद्घाटन समारोह में शहर से सैंकडों विप्रो ने अपनी जाने की सहमति प्रदान की। सभी के जाने के लिए 10 बजे चूणा चौक व गांधी चौक से वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिला संयोजक उमाशंकर महमिया ने बताया कि संपूर्ण जिले में तहसील अध्यक्षों से एवं जिला कार्यकारिणी से संपर्क कर लिया गया है। तहसील स्तर पर बैठकें संपन्न हुई हैं। बड़ी तादाद में जिलेभर से विप्रजन जयपुर उद्घाटन समारोह में प्रस्थान करेंगे। जिले भर से फीडबैक लेकर जयपुर संगठन को विस्तृत जानकारी दे दी गई है। जिससे उनकी उचित व्यवस्था हो सके। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री वशिष्ठ शर्मा ने किया। जबकि धन्यवाद जिला कोषाध्यक्ष राकेश सहल ने दिया। इस अवसर पर विफा जिला मंत्री रमेश चौमाल, पंडित हरिकिशन शुक्ला, अशोक जोशी, अमृत जोशी, सुरेंद्र जोशी, लीलाधर पुरोहित, रमेश महमिया, चंद्रप्रकाश जोशी, विनोद कुमार शर्मा, अनिल चोटिया, नरेश शर्मा, गोपीकिशन पुजारी, शिवप्रकाश जोशी, ओमप्रकाश ढंढ, राजेंद्र जोशी, कुंदन जोशी, राजीव पांडे, रामू जोशी, अंकित जोशी काफी संख्या में लोग उपस्थित है।

सम्मानित होकर चिड़ावा पहुंचे आजाद व अन्य

चिड़ावा,। तमिलनाडू हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चैन्नई में आयोजित सम्मान समारोह, राष्ट्रीय सेमिनार एवं कवि सम्मेलन में बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लेकर आए चिडावा के प्रमुख सामाजिक चिंतक एवं अन्वेषी लेखक महेश कुमार शर्मा आजाद तथा आरआर फिलिंग स्टेशन के प्रोपराइटर राधेश्याम ऑपरेटर कार्यक्रम के समापन के बाद चैन्नई, पांडिचेरी, महाबलिपुरम, त्रिवेंद्रम तथा कन्याकुमारी, हैदराबाद का भ्रमण करते हुए आज अपने गृहनगर चिड़ावा पहुंचे।

■ भ्रमण करते हुए आज अपने गृहनगर चिडावा पहुंचे

आजाद ने बताया कि अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने चैन्नई में श्री कनक्या परमेश्वरी देवी कला एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय मरीना बीच पांडिचेरी में अरविंद आश्रम बीच पांडिचेरी प्रवेश द्वार, महाबलिपुरम में ऐतिहासिक धरोहरों को, कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल प्वाइंट, महात्मा गांधी स्मारक मण्डपम, वेक्स म्यूजियम, एक हजार साल पुराने शिव मंदिर, तिरूपति बालाजी मंदिर तथा भारत माता मंदिर देखते हुए हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी का भ्रमण कर शाम को नागोल क्षेत्र में 63 फीट ऊंची श्री गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन-पूजन किया। हैदराबाद में सोमवार को उन्होंने तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के लोकप्रिय हिंदी अखबार डेली हिन्दी मिलाप के संपादक प्रकाश जैन से मुलाकात कर उनसे दक्षिण भारत में हिंदी पत्रकारिता की दशा और चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी हासिल की। अन्वेषी लेखक महेश आजाद ने बताया कि उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान उक्त स्थलों का पारंपरिक भोजन ही ठाहण किया। ज्ञातव्य है कि आजाद तथा राधेश्याम ऑपरेटर को हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में दिए गए उनके विशेष योगदान को देखते हुए तमिलनाडू हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित होकर गृह प्रदेश की राजधानी जयपुर पहुंचने पर अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट के चेयरमैन डॉ. अंजनी कुमार किरोड़ीवाल ने जयपुर स्टेशन पर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया।

उपभोक्ता आयोग में न्याय टेबल पर बैठे और त्वरित न्याय पाए

झुंझुनूं,। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने पीड़ित उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय देने और मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए गत राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान उपभोक्ता आयोग झुंझुनूं के साथ-साथ सीकर व चूरू में न्याय टेबल लगाने का नवाचार किया था। जो काफी कारगर होने के साथ ही बड़ी संख्या में पीड़ितों को राहत देने की अभिनव शुरुआत थी। जिसे आगे बढ़ाते हुए 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंधित लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों के दोनों पक्षों की प्री-काउंसलिंग आठ सितंबर सोमवार से उपभोक्ता आयोग में न्याय टेबल पर होगी और उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस 13 सितम्बर तक न्याय टेबल पर त्वरित न्याय मिलेगा। उक्त जानकारी देते हुए सदस्य प्रमेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील के मार्गदर्शन में बैंक, कोचिंग, विद्युत विभाग, बीमा कम्पनी, टोल कम्पनी, नगरपालिका, जलदाय विभाग, मोबाइल कम्पनी, हाउसिंग सोसायटी, परिवहन विभाग, सीवरेज सेवाप्रदाता कम्पनी, अस्पताल, पासपोर्ट, डाकघर, ट्रेवलस सेवा इत्यादि से सम्बंधित जिला आयोग के लम्बित मामलों और प्री-लिटिगेशन के प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित पक्षकारों की न्याय टेबल पर लोक अदालत की मूल पवित्र भावना के अनुरूप प्री-काउंसलिंग करवाई जाकर प्रकरणों का निस्तारण करवाने का सद्प्रयास आयोग की ओर से किया जायेगा।

राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उप शाखा राजगढ़ का धरना जारी

सादुलपुर, (ओमप्रकाश)। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उप शाखा राजगढ द्वारा एसडीएम कार्यालय की हठधर्मिता के विरुद्ध 13 अगस्त से चल रहा अनिश्चित कालीन धरना बुधवार को भी जारी रहा। ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र पूनिया ने बताया कि बुधवार को धरने पर रविंद्र पूनिया और रोहतास रहे। शाम पांच बजे दी जानकारी के अनुसार जिला मंत्री वेदपाल मलिक ने बताया कि एस.डी.एम. महोदया अपनी हठधर्मिता पर अडी हुई है। तथा अभी तक कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है, जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं होती और धमकी भरे नोटिस वापस नहीं लिए जाते और तमाम शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त नहीं किया जाता तब तक धरना चलता रहेगा।

■ राजगढ में एसडीएम कार्यालय की हठधर्मिता के विरुद्ध प्रदर्शन

ब्लॉक मंत्री संजय खीचड ने बताया कि संगठन का काम अपनी मांगों को लेकर अपने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना है। ज्ञापन सौंपने वालों को ही नोटिस जारी किए जाते हैं यह लोकतंत्र की हत्या है तथा यह शिक्षकों के अधिकारों का हनन है। कार्यकारी अध्यक्ष नरेश राय ने बताया कि एसडीएम महोदया की हठधर्मिता अलोकतांत्रिक है तथा एक अध्यापिका को बार-बार द्वेषतापूर्ण नोटिस दिए जा रहे हैं, जिनको संगठन सहन नहीं करेगा। सभा अध्यक्ष सुरेश नायक ने कहा कि यदि समय रहते एसडीएम द्वारा सकारात्मक वार्ता नहीं की जाती है तो संगठन को मजबूर होकर व्यापक आंदोलन करना पडेगा। आज धरने के समर्थन में ओमप्रकाश मुहाल, कामरेड जगत सिंह, सुमेर सिंह, वेदपाल गगौर, कामरेड रामनिवास लांबा, रघुवीर पूनिया, राजवीर सिंह, गुरदयाल सिंह, विनोद कुमार, सरदार सिंह, अनूप कुमार, अशोक कुमार, महावीर प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, सारिका यादव, सुरेश देवी, सोमवीर पंघाल, भूप सिंह जेवालिया, हरपाल सहरावत, मुकेश कालीरावणा, जावेद खान, सत्यवान, सोमवीर, फारूक, देवेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह, विजय कुमार तथा अनिल गोदारा आदि उपस्थित रहे।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 101/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी विकास कुमार पुत्र श्री दयानन्द सिंह निवासी प्लाट नं. 157, 158 गणपति नगर मण्डावा रोड, झुंझुनूं ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास राजस्थान पब्लिक बालिका स्कूल समिति, गणपति नगर झुंझुनूं के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 3.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 106/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री धर्मपाल सिंह दूत पुत्र श्री वेगा राम निवासी वी पी ओ-कोलसिया, तहसील-नवलगढ झुंझुनूं, राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास स्वतंत्रता सैनानी चौधरी बेगाराम स्मृति चेरिटेबल ट्रस्ट ग्राम कोलसिया तह. नवलगढ जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

जलझुलनी एकादशी पर ठाकुर जी को कराया नगर भ्रमण

चिड़ावा,। कस्बे के संकटमोचन द्वारकाधीश मंदिर में बुधवार को जलझूलनी एकादशी (डोला ग्यारस) जलविहार उत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया गया। जिसमें लड्डू गोपाल की झांकी यात्रा निकाली गई। जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालूओं द्वारा कान्हा जी के जयकारे लगाए गए। इस दौरान रास्ते में जगह-जगह भक्तों के द्वारा डोला झांकी में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन कर डोला झांकी के नीचे से निकलकर आशीर्वाद लिया गया।

कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन

चिड़ावा,। भाजपा युवा नेता राजेश दहिया के कर कमलों द्वारा पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान व्यायामशाला संस्थान चिड़ावा में 69वीं जिला स्तरीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश दहिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिड़ावा सीबीईओ डॉ. उमादत्त झाझड़िया ने की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसीबीईओ सुरेश कुमार पायल तथा एसीबीईओ कयूम अली एवं गुरु हनुमान व्यायामशाला सचिव राजेंद्रपाल सिंह कोच रहे। दहिया ने कार्यक्रम के संयोजक प्रधानाचार्य

■ चिड़ावा में 69वीं जिला स्तरीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश दहिया रहे

महेंद्र वर्मा को साधुवाद देते हुए बताया कि अंडर 14, 17, 19 वर्ष आयु के छात्र छात्रा वर्ग (फ्री स्टाईल/ ठीको रोमन) सत्र 2025-26 प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मंच का संचालन निरंजनलाल शर्मा एवं जोगेंद्र सिंह कोच ने किया।

इस दौरान डॉ. बीएल वर्मा, बाबूलाल वर्मा पूर्व अध्यक्ष, नरेंद्र गिरधर चिड़ावा नगर मंडल अध्यक्ष, हर्षवर्धन सिंह मंडल अध्यक्ष पिलानी, रामसिंह खेडला सरपंच, उम्मेद झाझड़िया सचिव राजस्थान कुश्ती संघ, सरजीत चौधरी जिला महामंत्री, मुरलीमनोहर पिलानी, मदन डारा पार्षद, अमरजीत, मुकेश जालिंद्रा, मानसिंह श्योराण, राजेश वर्मा, रामेश्वर सरपंच घंडावा, संपत्तदेवी पार्षद, बलवंतसिंह आदि अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पीएम का जताया आभार

झुंझुनूं,। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुशीला सीगड़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीएसटी टैक्स स्लैब में कटौती करने पर आभार व्यक्त किया है। सीगड़ा ने बताया कि जीएसटी टैक्स कम करने से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। खाना, घरेलू उपयोग का सामान, साबुन, टूथ पेस्ट, टेलीवीज़न, वाशिंग मशीन सस्ती होंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बीपी, शुगर व कैंसर जैसी बीमारियों की दवाईयां सस्ती होंगी। कृषि के क्षेत्र में भी ट्रैक्टर व खाद सस्ती हो जाएगी। नवरात्र से लागू होने वाली इस स्लैब से आमजन पर महंगाई का बोझ कम होगा।

वाहन चालकों की जिम्मेदारी और गोपनीयता पर सवाल से रोष

झुंझुनूं,। अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ ने गुरूवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वाहन चालकों की कर्तव्यनिष्ठा और गोपनीयता पर संदेह जताने वाली टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। संघ का कहना है कि ऐसे बयान पूरे प्रदेश के चालकों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि वाहन चालक सबसे कम वेतन पाने वाला कर्मचारी होते हुए भी दिन-रात अपनी ड्यूटी निभाता है। अधिकारी व मंत्रीगणों के साथ सफर करते समय वह न केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। बल्कि उच्च स्तरीय बैठकों और चर्चाओं का गोपनीय साक्षी भी रहता है। इसके बावजूद चालक सदैव अनुशासन और मर्यादा का पालन करता है। संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश बिजारणियां ने मांग की है कि वाहन

■ वाहन चालकों की जिम्मेदारी और गोपनीयता पर सवाल से रोष

चालकों को भी अन्य संवर्गों की भांति पदोन्नित में समानता से आर्थिक लाभ के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही हार्ड ड्यूटी एलाउंस एवं मेश भता सहित विभिन्न वाजिब मांगों का निराकरण कराने के साथ ही इस प्रकार वाहन चालक संवर्ग का मनोबल कम करने वाली बातों का दुष्प्रचार नहीं किया जाए। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष सुरेश कुमार बिजारणिया, उपाध्यक्ष रामसिंह शेखावत, कोषाध्यक्ष अनिल यादव, जिला महामंत्री राजेंद्रप्रसाद सहित विजेंद्र, नितिन, मुकेश कुमार, राकेश कुमार,भजन सिंह, अमित, जब्बार अली, अनिल, संदीप कुमार, सुरेश कुमार, राज कुमार, अजय कुमार भी उपस्थित रहे।

चूरू में अपराध का ग्राफ कम

चूरू। बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा गुरुवार को चूरू दौरे पर रहे। उन्होंने पुलिस लाइन में आपणो बाजार, पुलिस कैंटीन, मैस, मोटर परिवहन शाखा और संचित निरीक्षक कार्यालय सहित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। संपर्क सभा में आईजी शर्मा ने पुलिसकर्मियों को नए कानून की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चूरू जिले में नशे की खपत नहीं है। हालांकि शराब तस्कर चूरू के रास्तों का उपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में अपराध को रोकें। आईजी शर्मा ने एसपी जय यादव की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। इसके चलते चूरू में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आमजन से बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिये। आईजी ने कहा कि पुलिस को परिवादी की पूरी बात सुनकर मामले को गंभीरता लेना चाहिए।

कलेक्टर की मौजूदगी में घग्घर नदी तटबंधों का औचक निरीक्षण

हनुमानगढ़(निसं.)। जिले में घग्घर नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव एवं पुलिस अधीक्षक हरी शंकर ने गुरुवार को विभिन्न तटबंधों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 26 एसटीजी, पीलीबंगा क्षेत्र के 2 केएनजी व 3 केएनजी स्थित तटबंधों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। जिला कलेक्टर व एसपी ने इस दौरान पानी की आवक, तटबंधों की सुरक्षा और वहां नियुक्त कार्मिकों की उपस्थिति की जांच की। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से भी संवाद कर उनके सुझाव लिए। जिले के घग्घर क्षेत्र में पीलीबंगा, टिब्बी, हनुमानगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण घग्घर नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तटबंधों की मजबूती सुनिश्चित करने, निगरानी कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। प्रभावित आबादी के संभावित शिफ्टिंग हेतु राहत केंद्रों की पहचान कर ली है। इन राहत शिविरों में प्रभारी एवं सहप्रभारी नियुक्त किए गए हैं और भोजन, पेयजल, विद्युत, बिस्तर व स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह, भ्रामक खबर या झूठी जानकारी पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करना आवश्यक है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और जिले में घग्घर में पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। निरीक्षण के समय पीलीबंगा एसडीएम उमा मित्तल, रावतसर एसडीएम संजय अठावाल तथा हनुमानगढ़ एसडीएम मांगीलाल भी मौजूद रहे।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 102/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री कैलाश चंद डूडी पुत्र श्री गणपत राम निवासी बड़ापाना वार्ड नं. 15, भोड़की तह.उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री जमवाय ज्योति गौशाला समिति भोड़की तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 3.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 108/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री रवि बिजारनिया पुत्र श्री भागीरथ मल बिजारनिया निवासी कैंवरपुरा, जिला सीकर राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री अर्जुन शिक्षा समिति जनता कॉलोनी, नवलगढ रोड सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 103/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री सुबोध लुण्डिया पुत्र श्री ब्रज मोहन लुण्डिया निवासी वार्ड नं.7 लुण्डिया की गली, रामगढ (रूरल), रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री श्याम मित्र मण्डल ट्रस्ट बिसाउ गेट के बाहर वार्ड नं.23 पो.रामगढ शेखावाटी सीकर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 3.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 109/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्रीमती वर्तिका पत्नी श्री रवि बिजारनिया निवासी कैंवरपुरा, जिला सीकर राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास नवीन विकास शिक्षा समिति सीकर नवलगढ रोड जिला सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्ब